न्यायालय श्री मेघराज सिंह मीणा, R.A.S अतिरिक्त कलक्टर (द्वितीय), जयपुर।

राजस्व रेफरेन्स संख्या : 290/2021
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, जयपुर हाल कालवाड।

प्रार्थी,

बनाम

1. रामसहाय पुत्र श्री नारायण, जाति–ब्राह्मण, निवासी–गोविन्दपुरा, तहसील–कालवाड।
2. सीताराम पुत्र श्री नारायण, जाति–ब्राह्मण, निवासी–गोविन्दपुरा, तहसील–कालवाड।
3. गुलाब देवी पत्नी श्री नारायण, जाति–ब्राह्मण, निवासी–गोविन्दपुरा, तहसील–कालवाड।
4. मंदिर श्री गोविन्ददेव जी जरिये अंजन कुमार गोस्वामी महंत एवं एकल प्रन्यासी ठिकाना मंदिर गोविन्ददेव जी जय निवास बाग, जयपुर।

अप्रार्थीगण,

(राजस्व रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 सपठित धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955)

उपस्थिति :–
1. पेरोकार सरकार उपस्थित।
2. अप्रार्थीगण 1 लगायत 3 बावजूद सूचना अनुपस्थित इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।
3. श्री रेवती लाल बागडी, अभिभाषक, अप्रार्थी संख्या 4 की ओर से।

निर्णय

दिनांक : 27.04.2026

तहसीलदार, जयपुर हाल कालवाड द्वारा यह निवेदन किया गया हैं कि ग्राम–गोविन्दपुरा की आराजी खसरा नं0 152 रकबा 2 बिस्वा, आ0ख0नं0 153 रकबा 8 बिस्वा, आ0ख0नं0 154 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, आ0ख0नं0 155 रकबा 9 बिस्वा, आ0ख0नं0 156 रकबा 19 बिस्वा, आ0ख0नं0 160 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा, कुल किता 6 रकबा 6 बीघा 2 बिस्वा भूमि मन्दिर श्री गोविन्देव जी मुताबिक खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2015–2034 में दर्ज थी जो कालान्तर में बिना किसी वैध आदेश के माफी मन्दिर श्री गोविन्देव जी के बजाय महादेव पुत्र नानू जाति–ब्राहाम्ण के नाम दर्ज हो गई तत्पश्चात् जरिये नामान्तरकरण संख्या 7 से नारायण पुत्र महादेव नामान्तरकरण संख्या 129 से रामसहाय व सीताराम पि0 नारायण श्रीमती गुलाब देवी पत्नी नारायण निवासी गोविन्दपुरा के नाम दर्ज होकर हाल जमाबन्दी संवत्

2058–2061 में दर्ज है, जो पुनः मन्दिर श्री गोविन्देव जी के नाम दर्ज किये जाने के आदेश फरमाये जावे।

उक्त आशय का रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर नियमानुसार अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण 1 लगायत 3 बावजूद सूचना असालतन/वकालतन अनुपस्थित रहे। अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

उभय–पक्षों की बहस सुनी गई। विद्वान् पेरोकार सरकार एवं श्री रेवती लाल बागडी, अभिभाषक, अप्रार्थी संख्या 4 ने रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि विवादग्रस्त आराजी खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2015–2034 के कॉलम सं0 03 नाम भोक्ता पिता का नाम जाति व निवास स्थान में मन्दिर श्री गोविन्देव जी दर्ज थी जो बिना किसी वैध आदेश के मन्दिर श्री गोविन्देव जी के बजाय महादेव पुत्र नानू जाति–ब्राहाम्ण के नाम दर्ज हो गई तत्पश्चात् जरिये नामान्तरकरण संख्या 7 से नारायण पुत्र महादेव नामान्तरकरण संख्या 129 से रामसहाय व सीताराम पि0 नारायण श्रीमती गुलाब देवी पत्नी नारायण निवासी गोविन्दपुरा के नाम दर्ज होकर हाल जमाबन्दी संवत् 2058–2061 में दर्ज है, जो अनुचित हैं और बिना वैध और बिना सक्षम आदेशों के किया गया हस्तानान्तरण प्रारम्भ से शून्य होने से काबिले निरस्त हैं। मन्दिर/मूर्ति शाश्वत नाबालिग है, शाश्वत नाबालिग के हितो की रक्षा करना सरकार का दायित्व है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 46 के प्रावधानों के अनुसार नाबालिग की भूमि पर किसी भी व्यक्ति को चाहे वह पुजारी हो या अन्य व्यक्ति हो, खातेदारी अधिकार प्राप्त नही हो सकते है क्योंकि मंदिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग है। नाबालिग स्वयं काश्त करने में असमर्थ है, अतः उसके द्वारा अन्य व्यक्तियों को आराजी काश्त पर दी जा सकती है और यदि मंदिर मूर्ति की भूमि पर किसी अन्य को खातेदारी अधिकार किसी प्रकार से प्राप्त हो गऐ है तो वह प्रभाव शून्य माने जावेंगे अतः इन्द्राजों को निरस्त कर विवादग्रस्त आराजी वापिस मन्दिर श्री गोविन्देव जी के नाम दर्ज करने के आदेश फरमाये जावे।

हमने पेरोकार सरकार व अप्रार्थी संख्या 4 के विद्वान अभिभाषक की बहस पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध नकल खतौनी बन्दोबस्त (जमाबन्दी) भू–प्रबन्ध (सेटलमेन्ट विभाग) के अवलोकन से जाहिर होता हैं कि विवादग्रस्त आराजी सम्वत् 2015–2034 में मन्दिर श्री गोविन्देव जी दर्ज हैं और विवादग्रस्त आराजी की खातेदारी की स्थिति तय करने के लिए जमाबन्दी एक मुख्य एवं अधिक दस्तावेज हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत

मूर्ति को शाश्वत् नाबालिग माना गया है और नाबालिग मूर्ति के स्वामित्व की आराजी का हस्तान्तरण/विक्रय आदि नियमानुसार वर्जित हैं। नाबालिग मूर्ति की आराजी को पुजारी के अथवा अन्य के नाम बिना किसी वैध अधिकार के नहीं लगाया जा सकता हैं। विधिक दृष्टि में एक हिन्दू देव मूर्ति एक शाश्वत अवयस्क हैं। देवमूर्ति की आराजी पर यदि पुजारी अथवा अन्य द्वारा काश्त भी की गई है तो भी खातेदारी अधिकार पुजारी अथवा अन्य को प्राप्त नहीं हो सकते, परन्तु विधि के परिवर्तन से देव मूर्ति को स्वतः ही खातेदारी अधिकार उसकी भूमि में प्राप्त हो जाते हैं। मन्दिर श्री गोविन्देव जी की विवादग्रस्त आराजी को यदि किसी व्यक्ति द्वारा कब्जा–काश्त भी की गई हैं तो वह मूर्ति का कब्जा–कृषि कार्य करने वाला व्यक्ति ही माना जायेगा और उसको खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं। इस प्रकार नियमों के विपरित मन्दिर श्री गोविन्देव जी की भूमि का इन्द्राज विभिन्न प्रविष्टियों के परिणामस्वरूप जमाबन्दी सम्वत् 2058–2061 में निजी खातेदारी अप्रार्थीगण के नाम बिना किसी सक्षम अधिकारी, किसी वैध आदेश के बिना, अनुचित रूप से बिना कोई नियमों की प्रक्रिया अपनाये किया गया इन्द्राज तथा पश्चात्वर्ती इन्द्राज नामान्तरकरण संख्या 7 व 129 गोविन्दपुरा वादग्रस्त आराजी की सीमा तक प्रारम्भ से शून्य हैं और शून्य प्रभाव अवैध इन्द्राज का राजस्व अभिलेख में से हटाया जाना नितान्त आवश्यक हैं ऐसी स्थिति में इन इन्द्राजों को निरस्त कर उक्त विवेचनानुसार विवादग्रस्त आराजी वापिस मन्दिर श्री गोविन्देव जी के नाम लगाये जाने की राय से राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत रेफरेन्स स्वीकार किये जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रेषित हैं। पक्षकार को दिनांक 15.06.2026 को प्रातः 10.00 बजे माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया गया। निर्णय की अतिरिक्त प्रतियों के साथ पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 27.04.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

(मेघराज सिंह मीना)
अति. कलक्टर (द्वितीय)
जयपुर